Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 88-2025/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 15 मई, 2025
(25 वैशाख, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7)। (केवल हिन्दी में)	105—107
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 मई, 2025

संख्या लैज. 8/2025.– दि पंचकूला मेट्रोपोलिटन डिवेलपमेन्ट अथोरिटी (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 07 मई, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2025
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,– 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 2 का संशोधन।

(i) उप–धारा (1) के खण्ड (ब) में, ''नगर निगम, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, ''और नगर परिषद्, कालका'' शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे; तथा

(ii) उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) या हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) या हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) या हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) में परिभाषित और इस अधिनियम से अन्असंगत शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः उस अधिनियम में दिए गए हैं।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:– 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 3 का संशोधन।

"(कक) नगर परिषद्, कालका;''।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,– 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 5 का संशोधन।

(i) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(छछ) अध्यक्ष, नगर परिषद्, कालका, पदेन सदस्य;'';

(ii) खण्ड (त) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(तत) जिला नगर आयुक्त, पंचकूला, पदेन सदस्य;''।

5. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:– 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 11 का संशोधन।

"(कक) जिला नगर आयुक्त, पंचकूला, पदेन सदस्य;''।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 15 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 15 में, ''(1963 का पंजाब अधिनियम 41)'' कोष्ठकों, अंकों, तथा शब्दों के बाद, ''और हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1)'' शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक रखे जाएंगे।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 17 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु ऐसी अवसंरचना योजना, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उप–धारा (7) के अधीन तथा हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 4 के अधीन प्रकाशित अन्तिम योजनाओं के अनुरूप होगी।''।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 21 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 21 में,–

(i) उप–धारा (1) में, ''उपायुक्त, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, '', जिला नगर आयुक्त, पंचकूला'' चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप–धारा (2) के खण्ड (च) में, ''पुलिस आयुक्त, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, '', जिला नगर आयुक्त, पंचकूला'' चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप–धारा (6) में, ''पुलिस आयुक्त, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, '', जिला नगर आयुक्त, पंचकूला'' चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे; तथा

(iv) उप–धारा (7) में, ''नगर निगम आयुक्त, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, ''और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 172 के अधीन नगर परिषद्, कालका'' शब्द, चिह्न, अंक तथा कोष्ठक रखे जाएंगे।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 23 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 23 में,–

(i) उप–धारा (1) में, ''नगर निगम आयुक्त, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद,'', जिला नगर आयुक्त, पंचकूला'' चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे; तथा

(ii) उप–धारा (7) में, ''नगर निगम, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, ''या नगर परिषद्, कालका'' शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 25 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 25 के खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(छ) सुनिश्चित करना कि क्या हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उप–धारा (7) के अधीन या हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 4 के अधीन प्रकाशित अन्तिम विकास योजना या ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जिनके अधीन उक्त अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन विकास अनुमत किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार किसी भूमि या सम्पत्ति को विकसित किया जा रहा है या किया गया है;''।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 33 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (1) में,–

(i) खण्ड (घ) में, ''नगर निगम, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, ''और नगर परिषद्, कालका'' शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे; तथा

(ii) खण्ड (ड़) में, ''नगर निगम, पंचकूला'' शब्दों तथा चिह्न के बाद, ''और नगर परिषद्, कालका'' शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 42 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(4) प्राधिकरण, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 7 की उप–धारा (1) तथा (1क) के अधीन और हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 11 के अधीन भुगतानयोग्य परिवर्तन प्रभार प्राप्त करेगा।''।

13. मूल अधिनियम की धारा 53 में, ''(1963 का पंजाब अधिनियम 41)'' कोष्ठकों, अंकों तथा शब्दों के बाद, '',हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1)'' शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक रखे जाएंगे। 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 53 का संशोधन।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

11863—L.R.—H.G.P., Pkl.